

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 अप्रैल 2018—चैत्र 27, शक 1940

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2018

क्र. एफ-1-06-2017-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में
लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में, शीर्षक “पचास—महिला एवं बाल विकास विभाग” के अधीन, भाग (इ) में शीर्षक “विभाग के
अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय” के अधीन,—

- (1) अनुक्रमांक (1) एवं (2) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए।
- (2) अनुक्रमांक (2) तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि
अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(3) संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2018

क्र. एफ-1-06-2017-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना
क्र. एफ-1-06-2017-एक (1) दिनांक 17 अप्रैल 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव

Bhopal, the 17th April 2018

No. F-1-06-2017-One (1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendment in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, in the Schedule, under the heading “L. WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT”, in part (C), under the heading “Directorates and offices coming under the Department”,—

- (1) serial number (1) and (2) and entries relating thereto, shall be omitted.
- (2) after serial number 2 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—
“(3) Directorate of Women and Child Development, Madhya Pradesh.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. KATIYA, Addl. Secy.